सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांकः 227 / सो.आ.नि.–318(I) / 2014
दिनाँकः 16 जुलाई, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठक में टीमों द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रतिवेदन पर चर्चा के आधार पर सोशल आडिट प्रतिवेदन का तैयार किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपका ध्यान सोशल आडिट संदर्शिका के पृष्ठ–25 पर बिन्दु– 8.5 ''**सोशल आडिट प्रतिवेदन लिखते समय सावधानियाँ**'' की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें BSAC द्वारा प्रतिवेदन को लिखते समय ध्यान दिए जाने योग्य बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। उक्त के क्रम में DSAC/BSAC को मात्र समझाने के उद्देश्य से प्रशिक्षणों के दौरान केवल उदाहरणस्वरूप एक ''**काल्पनिक प्रतिवेदन**'' भी उपलब्ध कराया गया था।

2. यह संज्ञान में आया है कि इस माह से विभिन्न ग्राम पंचायतों में संपन्न हो रही सोशल आडिट के दौरान कुछ BSACs काल्पनिक प्रतिवेदन को मानक मानते हुए तथा उसकी नकल करते हुए ग्राम पंचायतों के वास्तविक सोशल आडिट का प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। यह न तो निदेशालय की मंशा के अनुरूप है और न ही उपयुक्त।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद के DSAC तथा सभी BSACs की बैठक करके यह स्पष्ट कर दें कि प्रशिक्षण में वितरित किए गए काल्पनिक प्रतिवेदन को वे कदापि मानक के रूप में न लें और अपना प्रतिवेदन सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठक में टीम द्वारा प्रस्तुत किए गए ड्राफ्ट प्रतिवेदन पर हुई चर्चा एवं निर्णय के आधार पर वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए लिखें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

Arun DT